



कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो0ब0-27 / 2015-103

दिनांक : 24.01.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत 23 नई मोटरगाड़ी क्रय हेतु रु0 200.00 लाख (दो करोड़ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0बजट-96 / 2015- 57 / स्वी0 व0प0 दिनांक 18.01.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट-96 / 2015- 95 / आ0 व0प0 दिनांक 19.01.2017।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष- 47 वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत एवं आवंटित राशि के अधीन कुल 200.00 लाख (दो करोड़ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
नई मोटरगाड़ी का क्रय	19P240601101470440	200.000
कुल :-		200.000

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची होंगे। अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति परिशिष्ट-1 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- 19P240601101470440 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. वित्तीय वर्ष 2016-17 में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत "वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें" योजना के अधीन 9 मारुति

सियाज VXI (पेट्रोल), 7 स्कॉपियो S10 BS4 (डीजल), 7 बोलेरो ZLX-MH 2WD BS4 (डीजल) कुल 23 नई मोटरगाड़ी का क्रय रजिस्ट्रेशन तथा एसेसरिज सहित कुल 200.00 (दो करोड़) रुपये मात्र का उप आवंटन किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का पदनाम, जिनके द्वारा नई मोटरगाड़ी का उपयोग किया जायेगा	स्वीकृति वाहन का प्रकार	दर (लाख में)	संख्या	कुल राशि (लाख में)
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची	मारुति सियाज VXI (पेट्रोल)	7.459	1	7.459
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची	मारुति सियाज VXI (पेट्रोल)	7.459	1	7.459
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, झारखण्ड, राँची	मारुति सियाज VXI (पेट्रोल)	7.459	1	7.459
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, राँची	मारुति सियाज VXI (पेट्रोल)	7.459	1	7.459
5	मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित), झारखण्ड, राँची	मारुति सियाज VXI (पेट्रोल)	7.459	1	7.459
6	मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची	मारुति सियाज VXI (पेट्रोल)	7.459	1	7.459
7	मुख्य वन संरक्षक, विश्व बैंक परियोजना, झारखण्ड, राँची	मारुति सियाज VXI (पेट्रोल)	7.459	1	7.459
8	अपर मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची	मारुति सियाज VXI (पेट्रोल)	7.459	1	7.459
9	मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची	मारुति सियाज VXI (पेट्रोल)	7.459	1	7.459
10	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर	स्कॉपियो S10 BS4	11.804	1	11.804
11	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो	स्कॉपियो S10 BS4	11.804	1	11.804
12	निदेशक, पलामू टाइगर प्रोजेक्ट, मेदिनीनगर	स्कॉपियो S10 BS4	11.804	1	11.804
13	मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची	स्कॉपियो S10 BS4	11.804	1	11.804
14	वन संरक्षक, वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची	स्कॉपियो S10 BS4	11.804	1	11.804
15	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका	स्कॉपियो S10 BS4	11.804	1	11.804
16	वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची	स्कॉपियो S10 BS4	11.804	1	11.804
17	उप वन संरक्षक, वनपाल एवं वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, महिलांग	बोलेरो ZLX-MH 2WD BS4 (डीजल)	6.590	1	6.590
18	उप वन संरक्षक, योजना, जनतीय क्षेत्र, राँची	बोलेरो ZLX-MH 2WD BS4 (डीजल)	6.590	1	6.590
19	उप वन संरक्षक, योजना, गैर जनजातीय क्षेत्र, राँची	बोलेरो ZLX-MH 2WD BS4 (डीजल)	6.590	1	6.590
20	उप वन संरक्षक, योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, राँची	बोलेरो ZLX-MH 2WD BS4 (डीजल)	6.590	1	6.590
21	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चापईबासा	बोलेरो ZLX-MH 2WD BS4 (डीजल)	6.590	1	6.590
22	उप वन संरक्षक, प्रशासन, राँची	बोलेरो ZLX-MH 2WD BS4 (डीजल)	6.590	1	6.590
23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिक्षण विद्यालय, हजारीबाग	बोलेरो ZLX-MH 2WD BS4 (डीजल)	6.590	1	6.590
24	मोटरगाड़ी का रजिस्ट्रेशन एवं सेसेसरिज	मोटरगाड़ी का रजिस्ट्रेशन एवं एसेसरिज			4.111
योग :-				23	200

5. योजना—सह—वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड के ज्ञापांक—95 / वि० दिनांक 10.01.2017 द्वारा 23 नई मोटरगाड़ी क्रय हेतु प्रशासी प्रदर्शन समिति की स्वीकृति प्राप्त है। उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि जिन पदों के विरुद्ध पदाधिकारी पदस्थापित हैं, मात्र उनके प्रयोजनार्थ ही वाहन क्रय किया जाय।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे।

7. पूर्व के सभी यंत्र—संयंत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर ही सामग्रियों का क्रय विहित प्रक्रिया अंतर्गत वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् किया जायेगा जिसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम सं0—174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।


10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं हो तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप क्रय की जायेगी।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मशीन एवं उपकरण तथा सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नियम/डी०जी०एस० एण्ड डी० दर पर किया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

5. योजना—सह—वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड के ज्ञापांक—95/वि० दिनांक 10.01.2017 द्वारा 23 नई मोटरगाड़ी क्रय हेतु प्रशासी प्रदवर्ग समिति की स्वीकृति प्राप्त है। उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि जिन पदों के विरुद्ध पदाधिकारी पदस्थापित हैं, मात्र उनके प्रयोजनार्थ ही वाहन क्रय किया जाय।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे।

7. पूर्व के सभी यंत्र—संयन्त्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर ही सामग्रियों का क्रय विहित प्रक्रिया अंतर्गत वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् किया जायेगा जिसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम सं0—174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं हो तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप क्रय की जायेगी।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मशीन एवं उपकरण तथा सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नियम/डी०जी०एस० एण्ड डी० दर पर किया जाय।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह० /—

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो०ब०—२७ / २०१५—१०३ दिनांक— 24.01.2017

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक क्षेत्र—राँची/ वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, राँची/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

5. योजना—सह—वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड के ज्ञापांक—95 / वि० दिनांक 10.01.2017 द्वारा 23 नई मोटरगाड़ी क्रय हेतु प्रशासी प्रदवर्ग समिति की स्वीकृति प्राप्त है। उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि जिन पदों के विरुद्ध पदाधिकारी पदस्थापित हैं, मात्र उनके प्रयोजनार्थ ही वाहन क्रय किया जाय।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे।

7. पूर्व के सभी यंत्र—संयंत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर ही सामग्रियों का क्रय विहित प्रक्रिया अंतर्गत वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् किया जायेगा जिसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम सं०—१७४ एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं हो तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप क्रय की जायेगी।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मशीन एवं उपकरण तथा सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नियम/ डी०जी०एस० एण्ड डी० दर पर किया जाय।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह० / —

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— ०१ / यो०ब०—२७ / २०१५—१०३ दिनांक— २४.०१.२०१७

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक क्षेत्र—राँची/ वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, राँची/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

ह० / —

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—27 / 2015—103

दिनांक— 24.01.2017

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



झारखण्ड सरकार


आवंटन आदेशझारखण्ड सरकार

चातुर्विंशीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या - 01/YB-27/2015/103

दिनांक -

24-Jan-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601101470440	86996	DRNFWL013	20,00,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			रुपये दो करोड़
	01 - वानिकी		RAJIV LOCHAN BAKSHI	
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण		DFO, RANCHI FORES	
	47 - वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें		DIVISION RA	
	04 - मोटरगाड़ियाँ / ईंधन			
	40 - नई मोटरगाड़ी का क्रय			
				
				
				
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS) ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND				
रुपये दो करोड़				
20,00,000.00				
योग:				
क्रमिक योग:				